संख्या-79/2016/2692ई-2/तेरह-2016-101/2015

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 15 दिसम्बर,2016

विषय: आबकारी विभाग में आगामी सुरक्षा होलोग्राम आपूर्तक के चयन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-40/2016/1500/ई-2/तेरह-2016-101/2015 दिनांक 24 जून, 2016 तथा अपने पत्र संख्या- जी-156/दस-लाइसेंस-41/होलोग्राम टेण्डर/2016-17 दिनांक 19 नवम्बर, 2016 एवं संख्या-जी-161/दस-लाइसेंस-41/होलोग्राम टेण्डर/2016-17 दिनांक 26 नवम्बर, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्रों द्वारा आबकारी विभाग में सुरक्षा होलोग्राम आपूर्तक के चयन के सम्बन्ध में किये गये प्रस्तावानुसार समस्त कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान करते हुए टेण्डर डाक्यूमेन्ट एवं अनुबंध पत्र में विहित शर्तों के अधीन मेसर्स यूफ्लैक्स लिमिटेड, वर्क्स-ए-1, गौतमबुद्धनगर/कापोरेट आफिस-ए-108 सेक्टर-4, नोएडा, गौतमबुद्धनगर द्वारा दी गई न्यूनतम दर को स्वीकार करने एवं मेसर्स यूफ्लैक्स लिमिटेड को संविदा हस्ताक्षरित होने की तिथि से आगामी 03 (तीन) वर्षो हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आबकारी विभाग में सुरक्षा होलोग्राम आपूर्तक नियुक्त किये जाने पर सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनुमोदन प्रदान किया जाता है :-

(1) शासनादेश दिनांक 24 जून,2016 एवं प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल,2016 में निर्धारित व्यवस्था एवं शर्तो का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) टेण्डर डाक्यूमेन्ट में किसी भी शर्त का उल्लंघन अथवा उससे विचलन नहीं किया जायेगा।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि तकनीकी रूप से अर्ह पायी गई दोनों इकाइयॉ- मेसर्स यूफ्लैक्स लि0 एवं मेसर्स मोनटेज इण्टरप्राइजेज द्वारा आपस में कोई कार्टेल बनाते हुए दुरभि सन्धि नहीं की गई है।

कृपया तद्नुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।